

72

फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

या : 64/22

अज्ञात व्यक्ति का बचपना

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

5-6
2025

पञ्जावली प्रसन्न व.पु.उप.। उमरपुर की बहन
सुनी गरी। वामने कापेवा सिंगर 13-6-20
को पेवा हो

अज्ञात क. 2
आमेर मु० जयपुर

13-6
2025

पञ्जावली प्रसन्न व.पु.उप.। प्रसन्न तकी
दस्तावेजों के द्वारा पा प्र० पत्र स्वीकार
कर अज्ञातों को सूचना के निस्तारण
तक प्र. गरिपे दस्त्या निषेधात् से
पाषण्ड किया जाता है कि वे उनके गान
केन्द्र मय फौजपुरा तहसील सतपुरा डाकरी
सिपुल के ख.न. 646/1, रफवा 0.18 ई.के
में माके की पवारिचौत कापे खेव/कमी
प्रका का निती गदी करे। विस्तृत निरीप
पुष्प से लिखववा। जमा। पञ्जावली प्रसन्न
अज्ञात घेक दारिजल दफ्तर हो

अज्ञात
सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

न्यायालय :- सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी: सुमन चौधरी
आर.ए.एस.



प्रार्थना पत्र संख्या- 64/2022

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक- 08.06.2022

1. अशोक कुमार
2. कुलानाथ उर्फ मेधा सिंधु शर्मा
3. उमानाथ
- } पुत्रान् श्यामलाल

समस्त जाति ब्राहमण, निवासीगण बैताड रोड दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर राज.

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती राधा देवी पत्नी, घनश्याम खत्री
2. घनश्याम खत्री पुत्र नामालूम
निवासीगण- प्लाट नम्बर 279, सिंधू नगर प्रताप नगर चौराहा गणपति स्कूल के पार मुरलीपुरा जयपुर राज.
3. भैरव गह निर्माण सहकारी समिति लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि/अध्यक्ष/मंत्री सयोजक कार्यालय 222, टाईम स्क्वायर विद्याधर नगर जयपुर एवं निवास स्थान 2/264, विद्याधर नगर जयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर

.....अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 13.06.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, पटवार हल्का नागल सिरस भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित नया खाता संख्या 4. व पुराना खाता संख्या 3 की आराजी खसरा नम्बर 646/1 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 647 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 648 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 651 रकबा 0.54 हैक्टेयर, कुल किता 4 का कुल रकबा 2.65 हैक्टेयर, कृषि भूमि स्थित है जिसमे खसरा नम्बर 646/1 विवादग्रस्त है। प्रार्थीगण व उक्त भूमि के पूर्व खातेदारो के मध्य मूल खसरा नम्बर 646 रकबा 1.25 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा निहित रहा है उक्त खसरा नम्बर 646 रकबा 1.25 हैक्टेयर का विभाजन हो गया है जिसमे खसरा नम्बर 646 रकबा 1.25 हैक्टेयर में से राजस्व नजरी नक्शे में उत्तर दिशा की ओर 0.63 हैक्टेयर जमीन प्रार्थीगण के हिस्से में आयी व शेष भूमि दक्षिण दिशा

Bms
सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर



प्रकरण संख्या - 64/2022
उपन्यायी - अशोक कुमार बनाम राधा देवी वगैरे
निर्णय दिनांक :- 13.06.2025

की ओर उक्त भूमि के पूर्व खातेदार के हिस्से में आयी तथा उक्त वाहमी बटवारे में प्रार्थीगण के हिस्से की 0.63 हैक्टेयर भूमि दौलतपुरा रोड की तरफ हाईटेन्सन लाईन एवं दौलतपुरा रोड के मध्य की भूमि आयी। प्रार्थीगण द्वारा अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयो की आवश्यकता होने पर अपने हिस्से में आयी भूमि खसरा नम्बर 646 रकवा 1.25 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्से की भूमि अर्थात् 0.63 हैक्टेयर भूमि जो दौलतपुरा रोड की तरफ वाली जमीन यानि हाईटेन्सन लाईन व दौलतपुरा रोड के मध्य की जमीन हिस्से में आयी में से पूर्व दिशा की ओर 1 बीघा 16 बिस्वा जमीन यानि 36 बिस्वा जमीन अर्थात् 0.45 हैक्टेयर भूमि का विक्रय जरिये इकरारनामा दिनांक 16.04.1997 को अप्रार्थी संख्या 3 को कर दिया गया जिसमें अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा कृष्णा नगर आवासीय योजना विकसित की है तथा उक्त विक्रित भूमि का कब्जा अप्रार्थी संख्या 3 को सम्भला दिया तथा प्रार्थीगण के हिस्से की शेष भूमि पश्चिम दिशा की ओर 0.18 हैक्टेयर भूमि रही जो संलग्न नजरी नक्शे में जी, एच, डी, बी मार्क से पीले रंग से दर्शायी गयी है तथा अप्रार्थी संख्या 3 की भूमि संलग्न नजरी नक्शे में मार्क बी, डी, ई, एफ से गुलाबी रंग से दर्शायी गयी है। दिनांक 8.05.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मौके पर आये और प्रार्थीगण से कहा की हमने श्रीमति 'संतरा देवी से कृष्णा नगर बैनाड रोड जयपुर में स्थित भूखण्ड संख्या 10 जिसका साईड प्लान व पट्टा अप्रार्थी संख्या 3 समिति द्वारा जारी किया हुआ है जरिये रजिस्ट्री कय किया है जिसमें उनके प्लॉट के सामने 30 फीट की रोड दर्शायी गयी है जो रोड प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 646/1 में शेष रहे प्रार्थीगण के हिस्से 0.18 हैक्टेयर भूमि में दर्शायी गयी है जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को यह कहा गया कि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा आपको गलत भूखण्ड का नक्शा जारी किया है चुकि उक्त भूमि तो हमारी खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थीगण द्वारा जो भूमि अप्रार्थी संख्या 3 को विक्रय की गयी थी उसमें प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की ओर कोई रास्ता वर्णित नहीं किया गया था इतना सुनकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आग बबूला हो गये और प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी की वे प्रार्थीगण की भूमि में स्वयं के प्लॉट का गेट निकालकर ही रहेंगे। उक्त जानकारी होने पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से सम्पर्क किया तथा उपरोक्त प्रकार जारी सोसायटी के नक्शे के बारे में पूछा तो अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रार्थीगण से कहा की भूमि की नाप करवा लो तब हकीकत सामने आ जायेगी तत्पश्चात 'प्रार्थीगण द्वारा अपने स्वयं के खर्च से जरिये ड्राफ्टमैन के खसरा नम्बर 646/1 की भूमि की नाप करवायी तब प्रार्थीगण की जानकारी में आया की प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी हिस्से पर जो तिरछी लाईनो से दर्शायी गयी है पर अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा करीब 4 बिस्वा अर्थात् 0.05 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है तथा प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर अपने सदस्यों को पट्टे जारी कर दिये। दिनांक 4.06.2022 को पुनः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर स्वयं के भूखण्ड का गेट निकालने का असफल प्रयास किया गया तथा प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को, उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को विक्रित भूमि का इकरारनामा भी बताया जिसमें अप्रार्थी संख्या 3 को जो भूमि प्रार्थीगण द्वारा विक्रय की गयी



प्रकरण संख्या - 64/2022
अशोक कुमार बनाम राधा देवी वगैरे
निर्णय दिनांक :- 13.06.2025

उसके बावत भी बताया गया किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नहीं माने तथा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरिया रास्ता निकालने पर आमदा हो रहे है इस कारण प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ। ऐसे में प्रार्थीगण को यह पूर्ण अधिकार हासिल है कि वह माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद बावत स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द करवावे कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 646/1 मे शेष रहे प्रार्थीगण के हिस्से 0.18 हैक्टेयर भूमि पर जबरिया कब्जा ना करे, ना ही अपने उक्त प्लाट का रास्ता प्रार्थीगण की भूमि मे निकाले ना ही रास्ते की आड मे प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा करे ना ही प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई कच्चा व पक्का निर्माण कार्य करे तथा ना ही प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी की भूमि से जबरिया बेदखल करे ना ही प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे बाधा कारित करे, ना ही उक्त कृत्य अप्रार्थीगण स्वयं करे ना ही अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट, व वर्कमेन से करावे तथा खसरा नम्बर 646/1 मे प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि 0.18 हैक्टेयर भूमि में से 0.05 हैक्टेयर भूमि जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शित पीले रंग की भूमि जो तिरछी धारियो से दर्शायी गयी है जिस पर अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अतिक्रमण कर आवासीय स्कीम विकसित कर अपने सदस्यो को आवटित कर दी है का कब्जा प्रार्थीगण को दिलवाया जावे। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अनुतोष प्रार्थीगण को प्रदान नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि जबरिया कब्जा कर रास्ता निकलेगे व निर्माण कार्य कर लेगे जिससे प्रार्थीगण के हक हकूको को सदा के लिए समाप्त कर देगे फलस्वरूप प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई कतई सम्भव नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ता फैसला वाद इस कदर पाबन्द करवाए कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 646/1 मे शेष रहे प्रार्थीगण के हिस्से 0.18 हैक्टेयर भूमि पर जबरिया कब्जा ना करे, ना ही अपने उक्त प्लाट का रास्ता प्रार्थीगण की भूमि मे निकाले ना ही रास्ते की आड मे प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा करे ना ही प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई कच्चा व पक्का निर्माण कार्य करे तथा ना ही प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी की भूमि से जबरिया बेदखल करे ना ही प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे बाधा कारित करे, ना ही उक्त कृत्य अप्रार्थीगण स्वयं करे ना ही अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट, व वर्कमेन से करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बावत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

B.M.S.
सहायक कलेक्टर
अमेर म. जयपुर



प्रकरण संख्या - 64/2022
बउनवानी - अशोक कुमार बनाम राधा देवी वगै०
निर्णय दिनांक :- 13.06.2025

जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अंकित किया कि वादीगण द्वारा मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को हेरान परेशान करने उनका मकान हडपने, तथा प्रतिवादीया संख्या 1 द्वारा पुलिस थाना हरमाडा मे दिनांक 18.6.21 से वादीगणो / गृह निर्माण सहकारी समिति के विरुद्ध कई वार दर्ज कराई गई रिपोर्ट एवं दिनांक 8.5.22 को दर्ज हुई एफ आई आर जो वाद जवाब के साथ प्रदर्श ब पर पेश है. से हताश होकर अपने बचाव एवं अपने कृत्यो को छुपाने के लिये ही कतई असत्य निराधार प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है जिसे निरस्त करने हेतु मान्य न्यायालय के समक्ष न्याय हित में जवाब वादीगणो द्वारा मान्य न्यायालय में जो उनवानी वाद प्रस्तुत किया गया है वह केवल व केवल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को मात्र हेरान परेशान करने सभी तरह का नुकसान पहुंचाने मजबूर करने के लिये ही असत्य मनगढन्त प्रस्तुत किया गया है जो खारिज फरमाने योग्य है न्याय हित मे खारिज फरमाया जावे । मद संख्या 2, 3, 4 का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कोई सम्बन्ध लेना देना नहीं है वादीगण इसे स्वयं मान्य न्यायालय के समक्ष प्रमाणित साबित करे । मद संख्या 5—यह कि वादीगणो ने दिनांक 8.5.22 के बावत कतई असत्य मनगढन्त कथन किये है, जो वाद जवाब के साथ सलग्न दस्तावेज प्रदर्श अ, ब स द ध में वर्णित इबारत व दिनांको से स्वत ही स्पष्ट है । सत्य यह कि वादीगण जो सामने ही रहते है, जो साईड प्लान रोड पर निर्माण सामग्री रखते समय भी मौजूद थे, द्वारा न तो उस समय यह अवगत कराया कि प्लाट संख्या 10 के सामने जो साईड प्लान मे समिति द्वारा जो रोड दर्शाई गई है वह गलत है रोड नहीं है और न ही मकान के महुर्त के समय अवगत कराया गया कि प्लाट के सामने रोड नहीं है केवल यह कहते हुऐ कि यह प्लाट उनका है महुर्त मत करो। जो स्वत ही प्रदर्श स ध से स्पष्ट है । मद संख्या 8 यह है कि वादीगणो द्वारा मान्य न्यायालय में असत्य निराधार मनगढन्त कहानी बना कर पेश की है जो उक्त वर्णित पेरो / मदो मे वर्णित इबारत एवं प्रदर्शो से स्वतः ही स्पष्ट है ऐसी स्थिति मे वादीगणो को अप्रार्थीगणो को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द करना कतई न्याय हित मे नहीं होगा तथा अपराधियो भूमाफिओ को बढावा सरंक्षण होगा । प्रतिवादी संख्या 1-2 गुण्डा गिदी एवं साजायत तार बन्दी कर रोके गये रोड को खुलवाने के पूर्ण अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्याय हित मे निरस्त फरवाया जाने योग्य है । निरस्त फरमाया जाकर वादीगणो को आदेश दिया जावे कि गाजायत की गई तार बन्दी हटाये तार बन्दी से रोके गये रास्ते को खोलने के आदेश फरमाये जावे तथा प्रतिवादी संख्या अनावश्यक मानसिक शरीरिक आर्थिक हानि पहचाने के ऐवज मे उचित मुआवजा वादीगणो से दिलाया जावे । मद संख्या 9— यह कि वादीगण कतई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, अपितु उक्त वर्णित तथ्यो प्रस्तुत प्रदर्श अब स द के अनुसार किये गये कृत्यो के कारण अपराधी है जिनसे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मद संख्या 8 मे वर्णित राहत एव मुआवजा प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी है । मद संख्या 10— यह कि वादीगण किसी भी द्रष्टि से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। मद संख्या 11— यह कि वादीगणो द्वारा मन गढन्त कहानी बना कर पेश की है, जो खारिज योग्य है। अत' जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ



पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष पेश कर निवेदन है कि धीरे धीरे सोसाईटी द्वारा जारी एवं रजिस्टरी में वर्णितनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मकान संख्या 10 के सामने पश्चिम दशा में 30 फुट रोड दर्शाई गई है वादीगणों जो प्रतिवादी संख्या 1 के मकान के सामने ही रहते हैं, उनके सामने ही मकान निर्माण महूर्त से 2-3 दिन पूर्व निर्माण सामग्री कच्ची निर्मित रोड पर रखवाई गई, उस समय भी वादीगण द्वारा रोड नहीं होने वावत कोई कथन नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा राम राम जी कहने पर केवल राम राम की गई। महूर्त के समय नियत खराब होने पर डराने धमकाने हेतु मात्र यह कहा गया कि यह प्लाट उनका है महूर्त मत करो इस पर विवाद करने महूर्त में बाधा डालने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दस्तावेज दिखाने एवं राह चलते लोगों के रूक जाने और उनके द्वारा दस्तावेज आदि देखने के बाद वादीगणों को गलत करार देते बुरा कहने पर वादीगण शान्त हो गये और कहा कि हम तो मजाक कर रहे थे समय निकल रहा है महूर्त करो। निर्माण के बाद वक्त बिजली कनेक्शन हेतु पोल लगाते समय वादीगणों द्वारा कारित किये गये धिनोने कृत्य जो. प्रदर्श अ व स दध से स्वतः ही स्वष्ट है का अवलोकन फरमाते हुये तथा सुखाधिकार कानून 1982 को मध्य नजर रखते हुये न्याय प्रदान करते हुये वादीगणों का झूठ पर आधारित प्रार्थना पत्र जो मय हर्जे खर्चे खारिज योग्य है खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को राहत तथा हर्जा खर्चा दिलाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 जिस प्रकार अंकित की गई है अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र कूटरचित वाद हेतुक के आधार पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कि सीरे से ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 जिस प्रकार वर्णित किया गया है अस्वीकार है मात्र वर्णित खसरा नम्बरान का ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, पंटवार हल्का नांगल सिरस, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोरा बीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित होना स्वीकार है। भूमि खसरा नम्बर 646/1 का विवादित होना स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 जिस प्रकार वर्णित किया गया है अस्वीकार है। प्रार्थीगण स्वयं सक्षम साक्ष्य से साबित करे। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार वर्णित किया गया है अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 16.04. 1997 को प्रार्थीगण से उनके हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 646 रकबा 1.25 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्से की भूमि अर्थात् 0.63 हैक्टेयर जो कि । बीघा 16 बिस्वा अर्थात् 5445 वर्गगज की पूर्व दिशा की ओर की भूमि को खरीद किया जाना स्वीकार है जिसके पश्चिम दिशा में हाईटेंशन लाईन होना स्वीकार है एवं उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा कब्जा प्राप्त कर कृष्णा नगर आवासीय योजना सृजित कर बसायी जाना स्वीकार है शेष नजरी नक्शे को प्रार्थीगण स्वयं सक्षम साक्ष्य से साबित करे। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार वर्णित किया गया है अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा भूखण्ड संख्या 10 क्षेत्रफल 111 वर्गगज का दिनांक 17.04.2000 को संतरा देवी पत्नि श्री पूरणमल को आवंटित किया जाना स्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद के मद संख्या 2 में स्वयं स्वीकार किया है कि उनके द्वारा विक्रित भूमि जो कि उनकी खुद की

Ami
सहायक कलक्टर
आमेर मू. जयपुर



प्रकरण संख्या - 64/2022
सूचना - अशोक कुमार मन्नाम राधा देवी वगैरे
निर्णय दिनांक :- 13.06.2025

भूमि के पूर्व दिशा में पड़ती है के गण्य हाईटेशन लाईन है एवं हाईटेशन लाईन के नीचे किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। अतः उक्त भूमि उक्त योजना कृष्णा नगर योजना के सदस्य एवं प्रार्थीगण स्वयं रास्ते के रूप में उपयोग एवं उपभोग में वर्षों दराज से होते आ रहे है जो अप्रार्थी संख्या 3 व प्रार्थीगण का रास्ते का उपयोग मालिकाना हक के रूप में नहीं होकर हाईटेशन लाईन के नीचे होने के कारण सुखाधिकार के रूप में रहा है। शेष तथ्य प्रार्थीगण स्वयं सक्षम साक्ष्य से साबित करे। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 जिस प्रकार वर्णित किया गया है अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा मात्र प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 646 की विक्रित भूमि 1 बीघा 16 बिस्वा अर्थात् 5445 वर्गगज पर ही अपनी योजना कृष्णा नगर सृजित की गई है एवं एक भी भूखण्ड 5445 वर्गगज भूमि के अतिरिक्त सृजित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा मद संख्या 5 में श्रीमान न्यायालय के समक्ष यह झुठा कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा करीब 4 बिस्वा भूमि अर्थात् 0.05 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है तथ्यहीन, सारहीन एवं कपोल कल्पित है जिसकी जांच मौके पर श्रीमान न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर अथवा ड्राफ्टमेन के जरिये नाप करवाकर ताईद की जा सकती है। कृष्णा नगर आवासीय योजना का नक्शा संलग्न जवाब वाद पत्र है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 जिस प्रकार वर्णित किया गया है अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 3 से सम्बन्धित नहीं होने के कारण जवाब मोहताज नहीं है। प्रार्थीगण स्वयं सक्षम साक्ष्य से साबित करे। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 जिस प्रकार वर्णित किया गया है अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा मात्र प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 646 की विक्रित भूमि 1 बीघा 16 बिस्वा अर्थात् 5445 वर्गगज पर ही अपनी योजना कृष्णा नगर सृजित की गई है एवं एक भी भूखण्ड 5445 वर्गगज भूमि के अतिरिक्त सृजित नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 की प्रार्थीगण के हिस्से की 0.18 हैक्टेयर भूमि पर न तो किसी प्रकार का कब्जा किया है और न ही कब्जा करने की कोई इच्छा रखता है। प्रार्थीगण अपना वाद स्वयं सक्षम साक्ष्य से साबित करे। प्रार्थीगण कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 जिस प्रकार वर्णित किया गया है अस्वीकार है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है न ही प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध किसी भी प्रकार के वाद हेतुक को उत्पन्न होना बताया है। वाद हेतुक के अभाव में प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 जिस प्रकार वर्णित किया गया है अस्वीकार है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में विफल रहे है। जिस कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के हक में नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 3 के हक में पूर्णतया साबित है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 11 जिस प्रकार वर्णित किया गया है अस्वीकार है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में विफल रहे है। जिस कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के हक में नहीं होकर



अप्रार्थी संख्या 3 के हक में पूर्णतया साबित हुए प्रार्थना पत्र की मद संख्या 12 में वादी द्वारा वरवक्त वहस अर्ज किये जाने वाले तथ्यों का जवाब अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा वरवक्त वहस ही प्रदान किया जावेगा। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 13 कानूनी है अतः जवाब मोहताज नहीं है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 3 से किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष श्रीमान न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्षों दराज पूर्व ही दिनांक 16.04.1997 को 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि अर्थात् 5445 वर्गगत भूमि विक्रय किया जाना एवं उस भूमि पर कृष्णा नगर आवासीय योजना सृजित होना एवं अप्रार्थी संख्या 3 के सदस्यगण को उस भूमि पर काबिज होना स्वीकार किया है जो कि प्रार्थीगण की भूमि के पूर्व में स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 की भूमि के मध्य हाईटेंशन लाईन होना वादी ने स्वयं स्वीकार किया है। उक्त हाईटेंशन लाईन के चीने किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य कानूनन नहीं किया जा सकता है एवं वह भूमि सदैव खाली रहती है अतः उक्त भूमि उक्त योजना कृष्णा नगर के सदस्य एवं प्रार्थीगण स्वयं रास्ते के रूप में उपयोग एवं उपभोग करते रहे है जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 के सदस्यों के सुखाधिकार है। प्रार्थीगण द्वारा यह वाद विना किसी वाद हेतुक के भूखण्ड संख्या 10 के आवंटन की दिनांक 17.04.2000 से लगभग 22 वर्ष पश्चात श्रीमान न्यायालय के समक्ष यह वाद पत्र भूखण्ड संख्या 10 को आधार बनाकर प्रस्तुत किया गया है भूखण्ड संख्या 10 का रास्ता प्रार्थीगण की भूमि से नहीं होकर भूखण्ड संख्या 9 के समीप से स्थित है जो योजना के सृजन के 22 वर्ष की मियाद बाहर होने, अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध किसी भी प्रकार का वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने के कारण प्रार्थीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 3 से किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 3 का जवाब रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षीय विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु को देखा जाना है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयो की आवश्यकता होने पर अपने हिस्से मे आयी भूमि खसरा नम्बर 646 रकबा 1.25 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्से की भूमि अर्थात् 0.63 हैक्टेयर भूमि जो दौलतपुरा रोड की तरफ वाली जमीन यानि हाईटेंसन लाईन व दौलतपुरा रोड के मध्य की जमीन हिस्से में आयी मे से पूर्व दिशा की ओर बीघा 16 बिस्वा जमीन यानि 36 बिस्वा जमीन अर्थात् 0.45 हैक्टेयर भूमि का विक्रय जरिये इकरारनामा दिनांक 16.04.1997 को अप्रार्थी संख्या 3 को कर दिया गया जिसमे अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा कृष्णा नगर आवासीय योजना विकसित की है तथा उक्त विक्रित भूमि का कब्जा अप्रार्थी संख्या 3 को सम्भला दिया तथा प्रार्थीगण के हिस्से की शेष भूमि पश्चिम दिशा की ओर

Buzi
सहायक कलक्टर
अम्बर म. जयपुर



0.18 हैक्टेयर भूमि रही जो संलग्न नजरी नक्शे में जी, एच, डी, वी मार्क से पीले रंग से दर्शायी गयी है तथा अप्रार्थी संख्या 3 की भूमि संलग्न नजरी नक्शे में मार्क बी, डी, ई, एफ से गुलाबी रंग से दर्शायी गयी है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अतिक्रमण कर आवासीय स्कीम विकसित कर अपने सदस्यो को आवटित कर दी है का कब्जा प्रार्थीगण को दिलवाया जावे। माननीय न्यायलय द्वारा उक्त अनुतोष प्रार्थीगण को प्रदान नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि जबरिया कब्जा कर रास्ता निकलेगे व निर्माण कार्य कर लेगे जिससे प्रार्थीगण के हक हकूको को सदा के लिए समाप्त कर देंगे जिसके खण्डन में अप्रार्थीगण ने जाहिर किया है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद के मद संख्या 2 में स्वयं स्वीकार किया है कि उनके द्वारा विक्रित भूमि जो कि उनकी खुद की भूमि के पूर्व दिशा में पड़ती है के मध्य हाईटेंशन लाईन है एवं हाईटेंशन लाईन के नीचे किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। अतः उक्त भूमि उक्त योजना कृष्णा नगर योजना के सदस्य एवं प्रार्थीगण स्वयं रास्ते के रूप में उपयोग एवं उपभोग में वर्षों दराज से लेते आ रहे हैं जो अप्रार्थी संख्या 3 व प्रार्थीगण का रास्ते का उपयोग मालिकाना हक के रूप में नहीं होकर हाईटेंशन लाईन के नीचे होने के कारण सुखाधिकार के रूप में रहा है।

परन्तु यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि उक्त आराजी प्रार्थी के स्वामित्व खातेदारी की भूमि है जिसे बेचा नहीं गया है तथा ना ही प्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है यदि अप्रार्थीगण आवासीय योजना की आड में प्रार्थी की आराजी पर अतिक्रमण या खुद बुर्द करते हैं तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो सकती है। अर्थात प्रथम दृष्टया मामला एवं केस प्रार्थी ने बखूब साबित किया है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर के खसरा नंबर 646/1 रकबा 0.18 हैक्टेयर में मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा किसी प्रकार का निर्माण अथवा कब्जा नहीं करे।

प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर